दिनांक–20.08.2025 (बुधवार) को सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

पुरातत्व निदेशालय

1. बिहार विरासत विकास समिति द्वारा गठित समिति में स्वीकृत सभी पदों की नियमावली एक सप्ताह में बनाने का निदेश दिया गया। साथ ही पूर्व में स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्ति करने के उपरांत जो पद रिक्त रह गये हैं उनका पुनः विज्ञापन निकालकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय साथ ही जिन विश्वविद्यालयों में संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती है उन विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर से विशेष रूप से प्रचारित करने का निदेश दिया गया।

2. भागलपुर के कहलगाँव अवस्थित गंगा नदी में पहाड़ी के भू–भाग की जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गयी है। इस संबंध में पहाड़ी के भू–भाग को सुरक्षित घोषित करने हेतु शीघ्र समीक्षा कर प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

3. पुरातत्व भवन के निर्माण के संबंध में वास्तुविद द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण के आलोक में संशोधित डी०पी०आर० उपलब्ध कराया गया है, प्राक्कलन का तकनीकि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार से अनुरोध करने का निदेश दिया गया है।

4. सेंटल्यूक चर्च, दानापुर का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। इस संबंध में निदेशक, पुरातत्व को जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया साथ ही उक्त चर्च का राजस्व विवरणी उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध किया जा सकता है। उक्त चर्च सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं, इसकी भी जानकारी संबंधित सैन्य अधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

5. मुण्डेश्वरी देवी मंदिर (कैमूर) जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल, पटना के नियंत्रणाधीन एक संरक्षित अधिसूचित स्मारक है। इस स्मारक में आम लोगों के लिए पीने का पानी एवं शेड की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अगली समीक्षात्मक बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना के पदाधिकारियों को भी बैठक में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु पत्र देने का निदेश दिया गया।

संग्रहालय निदेशालय

6. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह–स्मृति–स्तूप वैशाली के पुस्तकालय में रखे जाने वाले पुस्तकों की सूची तैयार कर संग्रहालयाध्यक्ष वैशाली द्वारा उपलबध कराया गया है। इस संबंध में क्रय समिति की बैठक के उपरांत निविदा प्रकाशित कर पुस्तकें क्रय करने का निदेश दिया गया।

7. सभी संग्रहालयाध्यक्षों के साथ एक विभागीय समन्वय बैठक करने का निदेश निदेशक, संग्रहालय को दिया गया।

8. सभी संग्रहालयों में आगंतुकों/विद्यालय/कॉलेज के बच्चों के आवागमन का आकलन पिछले वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष जनवरी से अभी तक की स्थिति का तुलनात्मक प्रतिवेदन अगले समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

9. संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत म्यूजियम ऑन व्हील्स निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था। तदालोक में विभागीय पी०एम०यू० लीड द्वारा बताया गया कि निविदा तैयार कर संग्रहालय निदेशालय द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की गयी है। इस संबंध में यथाशीघ्र संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

10. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉनक्लेव एवं राष्ट्रीय कॉनक्लेव आयोजन करने के लिए उचित समय निर्धारित कर योजना निर्माण कर जिसमें राष्ट्रीय कॉनक्लेव हेतु अगस्त से सितम्बर के बीच आयोजित करने का सुझाव एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉनक्लेव हेतु माह नवम्बर–25 से फरवरी–26 के बीच में कराने का निदेश दिया गया।

सांस्कृतिक निदेशालय

11. मुख्यमंत्री गुरू शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तक निर्धारित थी, जिसे 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाने का निदेश दिया गया।

12. दानापुर, पटना स्थित ललित रंग भवन के जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

13. भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में ओपन थियेटर का विद्युतीकरण करने के संबंध में विभागीय कार्यापालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग को भेजा गया है जो अभी तक अप्राप्त है। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

14. राजगीर में पी०पी०पी० मोड पर फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव बढ़ाने हेतु निदेश दिया गया।

15. मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के संबंध में सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों को लक्ष्य आवंटित करते हुए उनके जिलों में प्राप्त आवेदनों की संख्या के संबंध में जिलावार प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।

16. बिहार के छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) में सम्मिलित कराने हेतु मुख्य सचिव के स्तर से सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

17. बेगूसराय जिला में कला ग्राम के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

स्थापना

18. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में नए प्रशाखा के गठन करने से संबंधित संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की गयी है इस संबंध में वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

19. विभाग अंतर्गत CP.0GRAMS एवं CM Dashboard पर कई मामले काफी लम्बे समय से लंबित है, सभी लंबित मामलों का अतिशीघ्र निष्पादन करने का निदेश नोडल पदाधिकारी को दिया गया।

20. विभाग में लंबित UC, A/C- D/C के सभी मामलों को त्वरित निष्पादित करने का निदेश सभी निदेशालयों को दिया गया।

21. विभाग अंतर्गत सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु यथोचित कार्रवाई करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह०/–
(प्रणव कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

ज्ञापांक 1607 / पटना, दिनांक 28/08/2025

प्रतिलिपिः–सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/परामर्शी (फिल्म)/परामर्शी (वित्त एवं लेखा), बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय पी०एम०यू०लीड/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/25

(रुबी)
सरकार के संयुक्त सचिव।